संख्या 12013/1/2000-रा0भा0(प्रशि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 04 सितम्बर 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषयः हिन्दी शिक्षण योजना के अतंर्गत ली जाने वाली हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उर्त्तीण करने पर दिए जाने वाले एकमुश्त पुरस्कार को दिसम्बर, 2000 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रखना ।

अद्योहस्ताक्षरी को उपयुर्क्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 7.8.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/1/98-रा.भा.(प्रशि0) का हवाला देते हुए, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिन्दी, हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उर्त्तीण करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों / अधिकारियों को देय एकमुश्त पुरस्कार को **31 दिसम्बर, 2000 से आगे दिसम्बर, 2005 तक** जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है । बढ़ाई गई यह अवधि "क", "ख", एवं "ग" सभी तीनों क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगीं । इस पुस्कार की पात्रता के लिए शर्ते एवं दरें वहीं होंगी जो इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या12013/3/76-रा.भा.(घ), दिनांक 21.5.1977 ; कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-रा.भा.(घ), दिनांक 29.10.1984 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हि.शि.यो.(मु0), दिनांक 16.2.1995 में दी गई हैं ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनकी अ0वि0टिप्पणी संख्या: 7(37)/ ई-III (ए)/ 98, दिनांक 13.7.2001 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।

(एस0 रमणन)
अवर सचिव, भारत सरकार